न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 63/25

GCMS NO 2025/91

1. धर्मो पत्नि रामस्वरूप
2. नमोनारायण पुत्र रामस्वरूप
3. प्रेम पत्नि रामस्वरूप
4. भगवान सहाय पुत्र रामस्वरूप
5. लक्ष्मीबाई पुत्री रामस्वरूप
6. संतोष पुत्र रामस्वरूप जातियान मीना निवासीयान झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपीलांट

बनाम

1. बाबू पुत्र सोनपाल
2. रामोतार पुत्र केदार
3. सुरेन्द्र पुत्र हरि
4. धर्मेन्द पुत्र हरि जातियान मीना निवासीयान झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 300/22 निर्णय दिनांक 30.5.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री देवी सिह गुर्जर

दिनांक 29.7.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.5.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायल/अपीलांटगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी हाल ख0न0 2752 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी स्थित है। उक्त आराजी को सायलान ही काश्त कर उपयोग उपभोग व लगान अदा करते चले आ रहे है। गैरसायलान का उक्त आराजी से कोई संबंध वास्ता नही है। उक्त आराजी के पश्चिम दिशा मे मेन रोड हरिनगर से झारेडा आ रहा है तथा उक्त रास्ते से सायलान की उक्त भूमि के दक्षिण दिशा मे करीब 10 फीट चौडा रास्ता कुआ ख0न0 2789 पर होते हुए पूर्व दिशा की तरफ भोमिया व हनुमान जी के मंदिर तक रास्ता आ रहा है। सायलान ने उक्त रास्ता अपनी निजी खातेदारी की भूमि ख0न0 2752 मे होकर छोड रखा है। जिससे सायलान व अन्य सभी लोग हनुमान जी के मंदिर व भौमिया बाबा के स्थान तक दर्शन पूजापाठ के लिए आते जाते रहते है। सायलान की उक्त भूमि ख0न0 2752 मे रास्ते को छोडते हुए दक्षिण दिशा की तरफ ख0न0 2753 घमण्डी पुत्र रामफूल व मु0दखली पत्नि ठण्डीराम व अन्य खातेदारो की काश्त व खातेदारी की भूमि है। लेकिन गैरसायलान द्वारा उक्त आराजी को उक्त खातेदारो से क्रय करना बताते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जबकि आज भी उक्त भूमि ख0न0 2753 की खातेदारी गैरसायलान के नाम नही है। दिनांक 14.12.22 को सायल संतोष व नमोनारायण अपने खेत की सार संभाल करने गये तो गैरसायलान सायलान के खेत ख0न0 2752 के दक्षिण दिशा मे जो निजी रास्ता है उसमे सात फीट जमीन को दबाते हुए नींव खोद रहे थे तब सायलान ने मना किया तो गैरसायलान द्वारा उक्त रास्ते की भूमि को भूमि ख0न0 2753 मे मिलाने तथा सायलान को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक हुआ। अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी हाल ख0न0 2752 रकबा 0.52 है0 वाकेतन ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे न तो बाधा मजाहमत स्वयं पैदा करे ना ही अन्य किसी से करावे तथा सायलान की उक्त भूमि के दक्षिणी दिशा मे जो रास्ता 10 फीट चौडा हनुमान जी मंदिर व भौमिया बाबा के स्थान के लिए छोड रखा है उस पर नींव खोदकर न तो कोई निर्माण स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे तथा ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे सायलान के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपीलाटगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है। सायलान/अपीलांट आराजी ख0न0 2752 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी के खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पो0 का उक्त आराजीयात से कोई संबंध या वास्ता किसी प्रकार का नही है। गैरसायलान/रेस्पो0 ना तो उक्त आराजीयात मे ना तो खातेदार है ना ही सहखातेदार है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने सायलान/अपीलाटगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने मे कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे सायलान/अपीलांटगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे नकल जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 652,489 नक्शा ट्रेस ऑनलाईन प्रस्तुत करना माना है जिसमे सायलान/अपीलांटगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होना माना है तथा गैरसायलान/रेस्पो0 द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र मे दस्तावेली साक्ष्य के रूप मे विवादित आराजीयात के रूप मे कोई भी दस्तावेज साक्ष्य के रूप मे पेश करना नही बताया गया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण/सायलान का प्रथम दृष्टया केस साबित नही मानते मे भारी कानूनी भूल की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे सायलान/अपीलांटगण द्वारा प्रथम दृष्टया केस,सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनो [illegible] कहीं भी विस्तृत विवरण नही लिखा है कि सायलान/अपीलांटगण के [illegible] साबित नही है तथा केवल मात्र एक लाईन मे यह लिख दिया कि [illegible] अपीलांटगण का प्रथम दृष्टया केस,सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति साबित नही होता है। जो अपने आप मे ही मनमाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

निर्णय प्रतीत होता है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे सायलान/अपीलांटगण का प्रथम दृष्टया केस मानते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी तथा कानूनन दौराने दावा विवादित सम्पति को प्रोटेक्ट करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा जारी किया जाना न्याय संगत था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व सायलान/अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर मनन नही किया है तथा बिना माइंड अप्लाई किये ही उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने सायलान/अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ना तो अपने निर्णय मे उल्लेख किया ना ही उनका विवेचन किया तथा न्यायिक दृष्टांतो को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर सायलान/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर सायलान/अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 2752 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे बाधा मजाहमत ना तो स्वये पैदा करने ना ही अन्य किसी से कराने हेतु रेस्पो0 को पाबन्द किया जावे तथा उक्त भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांटगण/सायलान द्वारा गलत रूप से प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के पेश किया गया था। आराजी ख0न0 2752 रकबा 0.52 है0 की दक्षिण दिशा मे ख0न0 2753 रकबा 0.09 है0 भूमि स्थित है जिनके मध्य मे डोलमेड बनी हुई है जिसकी खातेदारी घमंडी पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन के नाम दर्ज है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से स्पष्ट है। उस भूमि से अपीलांट/सायलान का कोई संबंध वास्ता नही है। आराजी ख0न0 2752 के पश्चिम दिशा मे मेन रोड हरिनगर से झारेडा है। खसरा न0 2753 मे से दक्षिण की ओर डोलमेड को तोडकर करीब ढाई फीट भूमि दबाकर 10 फीट चौडा रास्ता मे गैरसायल ने0 1 के कब्जे की भूमि मे से मिला रखा है। सायलान व गैरसायल न0 1 की कब्जे की भूमि मे से 10 फीट रास्ते मे ग्राम पंचायत झारेडा ने सीमेन्ट की ईटो से इन्टरलोकिग रास्ता आम का पटाव कर पुख्ता आम रास्ता दिनांक 9.2.23 को निर्मित कर दिया है। इस पुख्ता आम रास्ते के पूर्व पश्चिम मे आवागमन चालू हो गया है। जिससे स्पष्ट है कि सायलान के ख0न0 2752 व ख0न0 2753 के मध्य बनी डोल मेड का वादीगण का कोई विवाद शेष नही रहा है। आराजी ख0न0 2753 रकबा 0.09 है0 भूमि के खातेदार घमंडी पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी झारेडा की कब्जे काश्त व बहामी बंटवारे मे आई भूमि को गैर सायल/रेस्पो0 बाबू को दिनांक 17.6.87 को प्रतिफल राशि प्राप्त की जाकर मौके पर कब्जा संभलाया गया है। विकेता धमण्डी पुत्र रामफूल फौत हो [illegible] उक्त विकय शुदा भूमि मे से 1/2 हिस्सा गैरसायल न0 1 ने गैरसायल [illegible] जिसमे गैरसायल न0 2 ख0न0 2752 की 10 फुट पुख्ता [illegible] कर ख0न0 2753 की सीमा मे होकर पुख्ता बाउन्ड्री तामीर कर ली है तथा प्रतिवादी न0 [illegible] ने खरीद की गई भूमि मे पुख्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मकान बना लिया है। जिसे सायलान/अपीलांट दखल अंदाजी कर परेशान करने के लिए गैरसायल/रेस्पो0 के विरूद्व झूठा मुकदमा नाजायज परेशान करने के लिए पेश किया गया है। मौके पर सायलान ने 10 फीट चौडाई के रास्ते मे व समूल गैरसायलान/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के कब्जे की भूमि मे होकर ग्राम पंचायत झारेडा ने इन्टर लोकिंग सडक निर्माण दिनांक 9.2.23 को पूर्ण कर दिया है। जो आवागमन हेतु मौके पर चालू है। खसरा न0 2752 की भूमि ढाई फिट भूमि खसरा न0 2753 मे होकर बन गया है तब रेस्पो0 द्वारा अपीलाट को विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी देने की बात स्वतः ही झूठी साबित है। रेस्पो0 द्वारा किसी प्रकार का नीव खोदकर निर्माण नही किया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ को सायलान/अपीलांट के पक्ष मे साबित नही माना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक निर्णय है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया है। जिससे यह तथ्य सामनें आये है कि अपीलांट/सायलान द्वारा भूमि खसरा न0 2752 के दक्षिणी दिशा मे निजी रास्ता बताते हुए उक्त रास्ते के पास सात फीट जमीन को रेस्पो/गेरसायलान द्वारा दबाते हुए बिना किसी अधिकार के नींव खोदने का तथ्य अंकित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो/गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की प्रार्थना की गई थी। पत्रावली मे उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 9.2.23 के अनुसार विवादित भूमि पर काफी दिनो से कार्य बन्द होने का अंकन किया गया है। पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे की गैरसायलान/रेस्पो0 द्वारा अवैध रूप से रास्ते की भूमि मे जबरन नीव खोदी जा रही हो। जबकि उभयपक्ष द्वारा यह स्वीकृत किया गया है कि विवादित आराजीयात मे ग्राम पंचायत झारेडा द्वारा सीमेन्ट की ईटो से इन्टर लोंकिग कर रास्ता पुख्ता किया गया है। इस प्रकार रास्ता आम जन की सुविधा हेतु आवागमन हेतु मौके पर बना होना स्वीकृत तथ्य है। इस प्रकार अपीलांट का प्राईमाफेसी केस साबित नही होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिक निर्णय होने से उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के मु0नं0 300/22 मे पारित निर्णय दिनांक 30.5.25 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.7.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:39 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner